[2025] 5 एस.सी.आर. 1037 : 2025 आईएनएससी 736

राज्य: लोकायुक्त पुलिस, देवनगर के माध्यम से

बनाम

सी बी नागराज

(आपराधिक अपील संख्या 1157 / 2015)

19 मई 2025

[न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह,*]

विचारणीय मुद्दा

उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(द) एवं 13(2) के अंतर्गत दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करने वाले आदेश की शुद्धता के संबंध में मुद्दा उत्पन्न हुआ, जो अवैध परितोषण की मांग से संबंधित था।

शीर्ष टिप्पणियाँ †

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 – धारा 7, 13(1)(द), 13(2) – अवैध परितोषण की मांग – शिकायतकर्ता-शिक्षक ने वैधता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था और उसी के अनुदान हेतु, तालुका पंचायत में पदस्थ प्रतिवादी अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करना था। शिकायतकर्ता का मामला यह था कि प्रतिवादी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अवैध परितोषण की मांग की, और उसी दिन प्रतिवादी को शिकायतकर्ता द्वारा अवैध परितोषण प्राप्त हुआ, उसके बाद प्रतिवादी के कब्जे से गंदी नोटें बरामद की गईं। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को धारा 7, 13(1)(द), 13(2) के अंतर्गत दोषी ठहराया और दंडित किया – उच्च न्यायालय ने आदेश रद्द कर दिया – हस्तक्षेप:

निर्णय: हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं – रिश्वत की मांग के संबंध में केवल शिकायतकर्ता का स्वयं का संस्करण ही कुछ आधार रखता हुआ कहा जा सकता है। अभियोजन साक्ष्य की अविश्वसनीयता अभियोजन साक्षी का साक्ष्य बहुत सुसंगत नहीं होने और थोड़ा स्व-विरोधाभासी होने के कारण, इसका लाभ प्रतिवादी को मिलना चाहिए। शिकायतकर्ता के साक्ष्य को पूर्ण रूप से विश्वसनीय मानकर प्रतिवादी को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार बनाने के लिए, इसकी सत्यता और विश्वसनीयता के संबंध में अधिक जांच की आवश्यकता होगी। प्रतिवादी द्वारा शारीरिक/स्थल निरीक्षण करने की तिथि तक रिश्वत की मांग के विषय में कोई जिक्र तक नहीं था। मांग का अभाव अभियोजन का मामला स्वयं स्पष्ट करता है कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता को सूचित किया था कि

*लेखक

संबंधित फाइल पहले ही अग्रेषित कर दी गई है – अतः, जिस कार्य के लिए कथित रूप से रिश्वत मांगी गई थी, वह पहले ही हो चुका था, इसलिए शिकायतकर्ता को राशि भुगतान करने का कोई अवसर ही नहीं था - उच्च न्यायालय का अवलोकन सही है कि केवल धन का हाथों-हाथ होना इस बात का स्वतः ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यह मांग के अनुरूप था, क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए मांग, स्वीकृति और बरामदगी से प्रारंभ होने वाली पूरी श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए - प्रारंभिक मांग स्वयं संदिग्ध होने पर, भले ही अन्य दो घटक सिद्ध हो जाएं, श्रृंखला पूर्ण नहीं होगी - निर्णय की पुष्टि शिकायतकर्ता का साक्ष्य विश्वास जगाने योग्य नहीं है, उसका आचरण उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त है – अतः, मांग के तथ्य का स्वयं उचित संदेह से परे सिद्ध न होने पर, प्रतिवादी की बरी होने को विकृत या अनुचित नहीं कहा जा सकता – विवादित निर्णय बरकरार। [पराग्राफ 23-28]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

कर्नाटक राज्य बनाम चंद्रशा 11 एस.सी.आर. 1321 : 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3469; एम.डी. रहीम अली बनाम असम राज्य 7 एस.सी.आर. 2329 : 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1695; जय किशन बनाम उ.प्र. राज्य 3 एस.सी.आर. 65 : 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 296; परिताला सुदाकर बनाम तेलंगाना राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1072; यादविंदर सिंह बनाम लखी, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 686 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988।

प्रमुख शब्दों की सूची

रिश्वत; अवैध परितोषण; अविश्वसनीय साक्ष्य; विस्तार अधिकारी; स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन; फेनॉल्थेलिन लगे मुद्रा नोट; सोडियम कार्बोनेट घोल गुलाबी हो गया; मांग, स्वीकृति और बरामदगी; मांग का तथ्य; अवैध परितोषण की मांग; वैधता प्रमाणपत्र; गंदी मुद्रा नोट।

मामले की उत्त्पत्ति

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1157/2015

बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 09.07.2013 के निर्णय एवं आदेश से सीआरएलए संख्या 12/2012 में।

अधिवक्तागण

अपीलीय पक्ष के लिए अधिवक्ता:

डी. एल. चिदानंदा।

प्रतिवादी पक्ष के लिए अधिवक्ता:

डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रिया अरस्तू, आशीष यादव,

अनघा एस. देसाई।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.07.2013 को पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश को चुनौती देती है (जिसे आगे 'उच्च न्यायालय' कहा जाएगा) जो आपराधिक अपील संख्या 12/2012 (जिसे आगे 'विवादित निर्णय' कहा जाएगा) [**2013 एससीसी ऑनलाइन कर्नाटक 5293**] में पारित किया गया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने दावणगेरे के विद्वान विशेष न्यायाधीश (जिसे आगे 'ट्रायल कोर्ट' कहा जाएगा) द्वारा दिनांक 23.12.2011 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश को रद्द कर दिया, जो स्पेशल सी. (लोकायुक्त) संख्या 8/2007 में था। इस आदेश द्वारा, ट्रायल कोर्ट ने एकमात्र प्रतिवादी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 7 तथा 13(1)(द) के साथ 13(2) के अंतर्गत दोषी ठहराया। प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए छह माह का साधारण कारावास तथा 2,000 रुपये (दो हजार रुपये) का जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई गई, तथा अधिनियम की धारा 13(1)(द) के साथ 13(2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दो वर्ष का साधारण कारावास तथा 3,000 रुपये (तीन हजार रुपये) का जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई गई।

संक्षिप्त तथ्य:

2. प्रतिवादी दावणगेरे तालुका पंचायत कार्यालय में विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत था। शिकायतकर्ता, श्री ई.आर. कृष्णमूर्ति (जिसे आगे 'शिकायतकर्ता' कहा जाएगा) को यद्दिर शैक्षणिक जिले में श्रेणी-II A के अंतर्गत प्राथमिक स्कूल शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। यद्दिर डीडीपीआई कार्यालय से दावणगेरे बीसीएम कार्यालय को शिकायतकर्ता

के श्रेणी-II A के दावे के वैधता प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति के लिए पत्र भेजा गया था। यह फाइल प्रतिवादी को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु प्रस्तुत की गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी ने 07.02.2007 को लगभग 12:30 बजे दोपहर में प्रतिवादी द्वारा तैयार स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए उनसे 1,500 रुपये (एक हजार पांच सौ रुपये) का अवैध परितोषण मांगा।

3. इस आरोप पर, दावणगेरे लोकायुक्त पुलिस स्टेशन द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 7, 13(1)(द) के साथ 13(2) के अंतर्गत शिकायत दर्ज की गई।

4. आगे आरोप है कि उसी दिन सायं 5:30 से 5:45 बजे के बीच प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता से उक्त अवैध परितोषण ग्रहण किया।

5. इसके पश्चात, 07.02.2007 को लोकायुक्त पुलिस टीम द्वारा जाल बिछाया गया। इस जाल के माध्यम से, प्रतिवादी द्वारा ग्रहण किए गए 1,500 रुपये (एक हजार पांच सौ रुपये) के फेनॉल्थेलिन लगे मुद्रा नोट जाल टीम द्वारा जब्त किए गए। उसके बाद, प्रतिवादी की उंगलियों को सोडियम कार्बोनेट घोल में डुबोया गया, जो प्रतिवादी की उंगलियों पर फेनॉल्थेलिन की उपस्थिति के कारण गुलाबी हो गया, क्योंकि वे फेनॉल्थेलिन लगे मुद्रा नोटों के संपर्क में आए थे।

6. इस पृष्ठभूमि में, ट्रायल कोर्ट ने दो प्रश्न तैयार किए: क्या 07.02.2007 को प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता से ऊपर वर्णित आधिकारिक कार्य/आशीर्वाद करने के लिए प्रेरणा या पुरस्कार के रूप में 1,500/- रुपये (एक हजार पांच सौ रुपये) की अवैध संतुष्टि की मांग की? और, क्या प्रतिवादी ने उसी तिथि को अपने कार्यालय में दोपहर 5:30 बजे से 5:45 बजे के बीच शिकायतकर्ता से उक्त राशि ऊपर वर्णित कार्य/आशीर्वाद दिखाने के लिए प्राप्त की, तथा इस प्रकार अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार किया?

7. दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक रूप से देकर, ट्रायल कोर्ट ने अधिनियम की आरोपित धाराओं के अंतर्गत प्रतिवादी को दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय के माध्यम से प्रतिवादी की अपील को स्वीकार कर ट्रायल कोर्ट के दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया।

8. उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय के विरुद्ध, राज्य लोकायुक्त पुलिस इस न्यायालय के समक्ष अपील में है।

<u>अपीलकर्ता के तर्क:</u>

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अनुमान तब लागू होता है जब धन की मांग और स्वीकृति सिद्ध हो जाती है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह अनुमान, भले ही आरोपी के विकल्प पर खंडनीय हो, किंतु यहाँ प्रतिवादी ने कोई सामग्री साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा अभियोजन साक्षियों का इस बिंदु पर कोई द्विवेदन भी नहीं किया। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन ने दूसरी ओर, सभी उचित संदेह से परे सिद्ध कर दिया कि प्रतिवादी के कब्जे से 1,500/- रुपये (एक हजार पांच सौ रुपये) की मूल्यवान मुद्रा नोटों की बरामदगी रिश्वत थी।

10. इस तर्क का समर्थन करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय **कर्नाटक राज्य बनाम चंद्रशा, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3469** पर निर्भरता की, जिसमें यह निम्नलिखित कहा गया है कि '... धारा 20 तब आकर्षित होती है जब यह सिद्ध हो जाता है कि लोक सेवक ने वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त कोई संतुष्टि स्वीकार की या स्वीकार करने पर सहमत हुआ है और उस स्थिति में अनुमान है कि यह अधिनियम की धारा 7, 11 या 13(1)(ख) के अंतर्गत आने वाले किसी कार्य के लिए प्रेरणा या पुरस्कार है। ...' न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अनुमान व्याजपत्र अधिनियम, 1881 की धारा 118 के अंतर्गत अनुमान के समान है, जहाँ भार आरोपी पर है कि वह सिद्ध करे कि वह आरोपित अपराधों का दोषी नहीं है।

11. इस प्रकार, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक बार प्रतिवादी से रिश्वत राशि की बरामदगी सिद्ध हो जाने पर, प्रतिवादी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण—कि उसके द्वारा प्राप्त धन शिकायतकर्ता को पूर्व अवसर पर प्रतिवादी द्वारा उधार दिए गए धन का भुगतान था—स्पष्ट रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए, रिश्वत राशि की 'मांग' और 'स्वीकृति' के पहलुओं के संदेह से परे स्थापित हो जाने पर, इस मामले में दो मत संभव नहीं हैं। अपील को स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गई।

<u>प्रतिवादी के तर्क:</u>

12. विपरीत रूप से, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क तीन बिंदुओं पर आधारित किए। प्रथम, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तथा यह दुर्भावनापूर्ण आचरण दर्शाता है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने तिर्यक इरादों से स्थान निरीक्षण रिपोर्ट को अस्वीकार किया जबकि उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे। तथापि, जब उसे उक्त स्थान निरीक्षण रिपोर्ट से सामना किया गया, तो उसने इसे स्वीकार किया, यह कहते हुए कि यह उसके तथा उसके पिता द्वारा हस्ताक्षरित है।

13. दूसरा, यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता को ज्ञात था कि स्थान निरीक्षण रिपोर्ट पहले ही संबंधित विभाग को भेज दी गई थी, तथा कथित मांग के समय प्रतिवादी के पास कोई कार्य लंबित नहीं था।

14. तीसरा, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने जब्ती के समय से ही निरंतर बिना किसी बाद के विचार के यह कहते हुए कहा है कि प्रतिवादी से बरामद कथित रिश्वत केवल स्थान निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता को दी गई राशि का भुगतान था।

15. विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों का सारांश देते हुए प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी 67 वर्षीय, पुरस्कार प्राप्त सेवानिवृत्त सेवक हैं जिनका सेवा रिकॉर्ड निर्दोष है, तथा उन्हें स्थायी दृष्टि दोष एवं वृद्धावस्था संबंधी रोग हैं। न्याय के हित में अपील खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई।

<u>विश्लेषण, तर्क एवं निष्कर्ष</u>:

16. हमने याचिकाओं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है तथा पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

17. स्वीकार्य तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी, प्रासंगिक समय पर, दावणगेरे तालुका पंचायत कार्यालय में विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। शिकायतकर्ता ने श्रेणी-II A के अंतर्गत दावे के संबंध में वैधता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया था तथा उक्त प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु, मामले को जाति जांच समिति के समक्ष स्थान निरीक्षण रिपोर्ट सहित प्रस्तुत करना था, जिसे प्रतिवादी द्वारा तैयार करना था।

18. इस संबंध में, प्रतिवादी ने 05.02.2007 को शिकायतकर्ता के ग्राम का निरीक्षण किया तथा उसके पश्चात शिकायतकर्ता 07.02.2007 को लगभग दोपहर 12:30 बजे उनके कार्यालय गया तथा उसी दिन 5:30 बजे पुनः मिला।

19. समस्त घटना उपर्युक्त तथ्यात्मक संकीर्ण सीमा के इर्द-गिर्द घूमती है। शिकायतकर्ता/अभियोजन के अनुसार, प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता को लाभ पहुंचाने हेतु 07.02.2007 को दोपहर 12:30 बजे उसके कार्यालय आने पर शिकायतकर्ता से 1,500/- रुपये (एक हजार पंस सौ रुपये) की अवैध संतुष्टि की मांग की। यह आगे आरोपित है कि उक्त मांग को संतुष्ट करने हेतु, शिकायतकर्ता ने उसी दिन 5:30 बजे 1,500/- रुपये (एक हजार पांच सौ रुपये) की राशि लेकर प्रतिवादी के कार्यालय में पुनः जाकर, जिसे कथित रूप से प्रतिवादी ने जाल साक्षियों/पंचों की उपस्थिति में स्वीकार किया।

20. अभियोजन की ओर से नौ साक्षियों की जाँच की गई, जबकि बचाव की ओर से एक साक्षी प्रस्तुत किया गया।

21. अभियोजन साक्षियों के दर्ज साक्ष्य से, पीडब्ल्यू2 ने कहा कि जब शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट के बारे में पूछा तो प्रतिवादी ने कथित रिश्वत के बारे में पूछा। तथापि, उसके द्विवेदन में, प्रारंभ में पीडब्ल्यू2 ने कहा कि प्रतिवादी के कक्ष के अंदर प्रतिवादी और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत को उसने नहीं सुना क्योंकि वह प्रवेश द्वार के पास खड़ा था। तथापि, पीडब्ल्यू2 ने बाद में कहा कि जब प्रतिवादी और शिकायतकर्ता नीचे आए, तो उसने उनका अनुसरण किया, तथा प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत राशि की मांग की, तथा उसके पश्चात जब वे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो उसने 2 से 3 फुट की दूरी से शिकायतकर्ता को प्रतिवादी को रिश्वत राशि देते देखा। फिर भी, पीडब्ल्यू2 ने आगे कहा कि उसे नहीं पता कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता से वह राशि मांगी थी जो उसने उसे दी। इस संदर्भ को छोड़कर, शिकायतकर्ता स्वयं अर्थात पीडब्ल्यू1 के साक्ष्य के अतिरिक्त, कोई अन्य साक्षी ने ऐसी मांग के साक्षी होने की गवाही नहीं दी। शिकायतकर्ता की प्रारंभिक शिकायत में भी उसने कहा है कि वह वैधता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति के बारे में पूछताछ करने प्रतिवादी के पास गया था, जिससे वह 07.02.2007 को दोपहर लगभग 12:30 बजे मिला था, जिसने कथित रूप से उसे बताया कि स्थान निरीक्षण रिपोर्ट, जो दावणगेरे बीसीएम कार्यालय को भेजनी थी, तैयार है, किंतु वह केवल 1,500/- रुपये (एक हजार पांच सौ रुपये) के भुगतान पर ही इसे प्रेषित करेगा। शिकायतकर्ता ने यह कहते हुए कि उसके पास धन नहीं है, प्रतिवादी को बताया कि वह शाम को धन लेकर लौटेगा। उसके पश्चात, शिकायतकर्ता लोकायुक्त कार्यालय गया तथा जाल आयोजित हुआ।

22. उपर्युक्त से, शिकायतकर्ता के अनुसार, मांग पहली बार 07.02.2007 को लगभग 12:30 बजे प्रतिवादी द्वारा की गई तथा बाद में साक्षियों के साक्ष्य के अनुसार, प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता को बताया कि उसने फाइल पहले ही प्रेषित कर दी है तथा उसके बाद भी धन की मांग की, जो भुगतान की गई तथा प्रतिवादी से बरामद हुई।

23. ऐसी पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि मूल रूप से, केवल शिकायतकर्ता का अपना ही संस्करण ही 1,500/- रुपये (एक हजार पांच सौ रुपये) की राशि की मांग के संबंध में कुछ आधार रखता है, जो कथित रूप से प्रतिवादी द्वारा रिश्वत के रूप में की गई। पीडब्ल्यू2 के साक्ष्य में उल्लेख बहुत सुसंगत नहीं है तथा थोड़ा स्व-विरोधाभासी है, इसलिए पीडब्ल्यू2 के साक्ष्य के इस बिंदु पर स्पष्ट न होने के अभाव में, इसका लाभ प्रतिवादी को मिलना चाहिए।

24. शिकायतकर्ता स्वयं के साक्ष्य को उसकी शिकायत के साथ देखते हुए—इसे पूर्ण रूप से विश्वसनीय मानकर तथा प्रतिवादी को दोषी ठहराने का एकमात्र आधार बनाने हेतु, इसकी सत्यता एवं विश्वसनीयता के संदर्भ में इससे अधिक जांच की आवश्यकता होगी। इस संबंध में एक स्पष्ट संकेत यह है कि शिकायतकर्ता ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा कि उसे आरोपी द्वारा 05.02.2007 को किए गए स्थान निरीक्षण रिपोर्ट का कोई ज्ञान नहीं था, तथापि जैसे ही उसे दस्तावेज अर्थात प्रदर्श डी8 से सामना किया गया, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। स्वीकृति पर रुकते हुए नहीं, शिकायतकर्ता ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को भी स्वीकार किया तथा अपने तथा अपने पिता के हस्ताक्षर के साथ-साथ साक्षी के हस्ताक्षर की भी पहचान की।

25. यह उल्लेखनीय है कि 05.02.2007 तक, जब प्रतिवादी ने भौतिक/स्थान निरीक्षण किया था, तब तक रिश्वत की कोई मांग होने का कोई संकेत तक नहीं है। इसके अलावा, जब शिकायतकर्ता धन लेकर 5:30 बजे प्रतिवादी के कार्यालय लौटा, तो अभियोजन का मामला स्वयं उसके साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट करता है कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता को सूचित किया था कि उसने संबंधित फाइल पहले ही प्रेषित कर दी है। इस प्रकार, यदि इसे स्वीकार किया जाए, तो जिस कार्य के लिए कथित रूप से रिश्वत मांगी गई थी, वह कार्य पहले ही हो चुका होने के बाद शिकायतकर्ता के लिए राशि का भुगतान करने का कोई अवसर ही नहीं था, जिसे वह प्रतिवादी द्वारा मांगी गई रिश्वत के रूप में दावा करता है। उच्च न्यायालय का इस सीमा तक का अवलोकन सही है कि केवल धन का हाथों-हाथ होना ही वर्तमान जैसे मामलों में स्वतः ही अनुमानित नहीं किया जा सकता कि यह मांग के अनुरूप था, क्योंकि कानून की आवश्यकता है कि अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि हेतु एक पूर्ण श्रृंखला—मांग, स्वीकृति तथा बरामदगी से प्रारंभ होकर—पूरी होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, जब प्रारंभिक मांग स्वयं संदिग्ध है, तब भले ही अन्य दो घटक—भुगतान तथा बरामदगी—सिद्ध माने जाएं, तो भी श्रृंखला पूर्ण नहीं होगी। दंड विधि को कठोर रूप से व्याख्यायित किया जाना चाहिए [**मो. रहीम अली बनाम असम राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1695** @ अनुच्छेद 45 तथा **जय किशन बनाम उ.प्र. राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 296** @ अनुच्छेद 24]। यद्यपि हम आगे अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अनुमान पर चर्चा करेंगे, तथापि कोई विवाद नहीं कि विशिष्ट विधि के अंतर्गत आरोपी पर उलटा भार रखा जा सकता है, फिर भी ऐसा अनुमान नहीं हो सकता जो आरोपी पर अनावश्यक भार डाले। **चंद्रशा** (उक्त) लागू नहीं होगा क्योंकि मांग सिद्ध नहीं हुई है। **परिताला सुदाकर बनाम तेलंगाना राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1072** में इस प्रकार कहा गया:

'21. राज्य का यह तर्क कि अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत, जैसा कि तब था, अनुमान अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, इतना दूर तक सही है कि हमारा पूर्ववर्ती विश्लेषण दर्शाता है कि अपीलकर्ता एवं शिकायतकर्ता के बीच वैमनस्य के तत्व की पृष्ठभूमि में मांग का तथ्य सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अनुमान अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगा, ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य, (2006) 2 एससीसी 250 में उच्चारित अनुसार:

> *'22. अभियोजन के मामले में उपर्युक्त विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव की कहानी को पूर्णतः असंभाव्य नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत साक्ष्य का भार आरोपी पर था।* ***भले ही अन्यथा, जहाँ मांग सिद्ध नहीं हुई है, वहाँ धारा 20 का भी कोई लागू होना नहीं है।*** *(संघ बनाम पूर्णेंदु बिस्वास [(2005) 12 एससीसी 576: (2005) 8 स्केल 246] तथा टी. सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य [(2006) 1 एससीसी 401: (2006) 1 स्केल 116])'*
>
> (जोर दिया गया)
>
> (मोटे अक्षरों में जोर मूल है, रेखांकन हमारा है)

26. इसके अलावा, शिकायतकर्ता का साक्ष्य, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विश्वास उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि उसके द्वारा ही ज्ञात कारणों से, उसने स्थान निरीक्षण हेतु प्रतिवादी के ग्राम भ्रमण को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया, वह भी जाल की तिथि से मात्र दो दिन पूर्व, तथा तुरंत अपना ऐसा रुख बदल लिया तथा उक्त भ्रमण को स्वीकार कर लिया तथा स्थान रिपोर्ट को भी स्वीकार किया साथ ही अपने, अपने पिता के तथा साक्षी के हस्ताक्षरों की पहचान की। इस न्यायालय की विचारित राय में, ऐसा आचरण उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त है।

27. यद्यपि यह टिप्पणी की जा सकती है कि उच्च न्यायालय को विस्तृत तथ्यात्मक तर्क देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया, कि वह दोषसिद्धि के आदेश को निराकारण के आदेश से क्यों उलट रहा था, तथापि चूंकि मांग का तथ्य स्वयं उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए विवादित निर्णय द्वारा प्रतिवादी की निराकारण को वर्तमान विवाद के तथ्यात्मक परिदृश्य में विकृत या अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता। **यादविंदर सिंह बनाम लखी, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 686** में, इस न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि 'ट्रायल कोर्ट अपने आदेश को स्पष्टतर तर्कों से बेहतर शब्दावली में लिख सकता था।' तथापि, सभी प्रासंगिक कारकों की जाँच पर, न्यायालय ने वहाँ ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल किया तथा

विवादित आदेश को रद्द किया, मामले के सभी कारकों की जाँच पर। वर्तमान मामले में, यह कहना अनावश्यक है कि हमने सभी सामग्री पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से अपना मन लगाया है तथा उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत हैं।

28. इस प्रकार, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के समग्र अवलोकन तथा ऊपर किए गए चर्चाओं पर, हम अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता दर्शाने वाला कोई आधार नहीं पाते। विवादित निर्णय, अतः, बरकरार रहेगा।

29. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

30. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

मामले का परिणाम: अपील खारिज।

†*शीर्ष टिप्पणियाँ निधि जैन द्वारा तैयार*

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|